Ex.P.-457

कथन – महाबीर अग्रवाल

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	महाबीर अग्रवाल पिता स्व. सुखराम अग्रवाल
उम्र	–	47 वर्ष
पता	–	पचपेड़ी नाका आम्रपाली शांति रेसीडेन्सी, रायपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	93039–04436, 94060–30436
व्यवसाय	–	संचालक, सरस्वती एग्रो इन्डस्ट्रीज, देवभोग जिला– गरियाबंद (छ0ग0)

––00––

मैं महाबीर अग्रवाल पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं सरस्वती एग्रो इन्डस्ट्रीज राईस मिल, देवभोग जिला गरियाबंद का संचालक हूं। इस मिल के प्रोपाईटर मेरी पत्नी श्रीमती मंजू अग्रवाल है। मिल की क्षमता 04 टन की है। मुझे 32,000 क्विंटल धान का मिलिंग के लिये स्वीकृत है, किन्तु कारोबार मैं ही देखता हूं। देवभोग में 01 राईस मिल स्वास्तिक राईस मिल के नाम से है, जिसका प्रोपाईटर प्रतीक पटेल एवं आशिफ खान पार्टनर है। देवभोग में एफ.सी.आई. का गोदाम नहीं है, मात्र स्टेट वेयर हाउस का 03 गोदाम है। जिनकी क्षमता 30–35 हजार क्विंटल की है। देवभोग में गोदाम में जगह की समस्या हमेशा रहती है, कारण यह है कि यहां राजिम, गरियाबंद, छुरा का चावल नान द्वारा भेजा जाता है। सी.एम.आर. की प्रक्रिया जिला खाद्य विभाग से शुरू होता है, वहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मार्कफेड, डी.एम. ओ. से एग्रीमेंट कराकर धान उठाकर अपने मिल में चावल तैयार करते है। 01 क्विंटल धान का 67 किलो चावल देना होता है। चावल तैयार करने के बदले हमें 40रू. प्रति क्विंटल मार्कफेड से मिलता है। चावल तैयार करने के बाद गोदाम की दूरी 08 किलोमीटर के अंदर होने पर ट्रांसपोर्टिंग खर्च को स्वयं वहन करना पड़ता है तथा 08 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर ट्रांसपोर्टिंग खर्च नागरिक आपूर्ति निगम देती है। देवभोग में हमारे द्वारा तैयार चावल गोदाम पहुंचने पर चावल का अनलोडिंग, स्टेकिंग का 3300रू. प्रति लॉट देना पड़ता है। 01 लॉट में 540 बैंग (270 क्विंटल) होता है। हमारे द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार चावल तैयार कर गोदाम में ले जाने पर क्वालिटी इंस्पेक्टर जांच करते है, ठीक पाये जाने पर चावल स्टेकिंग होता है नहीं तो तैयार चावल को वापस कर दिया जाता है। नान के कर्मचारियों द्वारा शर्तों के अनुसार चावल तैयार कर देने के बाद भी जान–बूझ–कर किसी न किसी बिन्दू पर वापस कर देते है। इससे बचने के लिये पैसे की मांग करते है, स्पेश नहीं है कह कर चावल को रोक देते है, स्पेश बनाने के लिये भी पैसे की मांग की जाती है। राजिम के मिलरों का चावल को गरियाबंद कांस होकर देवभोग भेजा जाता है और देवभोग के चावल को गरियाबंद भेजा जाता है, जिससे शासन को नुकसान होता है। माह दिसम्बर 2014 तक

मैं 18,832.80 क्विंटल चावल जमा किया था। मोतीलाल साहू गरियाबंद नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक है, उनसे जप्त पर्ची को मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने दिखाया जिसमें सरस्वती एग्रो इन्डस्ट्रीज के सामने लिखा हुआ अंक मेरे द्वारा जमा की हुई चावल क्विंटल में है। मुझे यह जानकारी मिली है कि बाकी राईस मिलर्स से कस्टम् मिलिंग के चावल के एवज में 10रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूल किया जाता है। मेरे द्वारा कलेक्शन की रकम जमा नहीं करने के कारण नागरिक आपूर्ति निगम में क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिला प्रबंधक द्वारा करीब 30 बार चावल के लॉट को क्वालिटी कम बताकर फेल किया गया है। इसके प्रमाण में मेरे पास चावल के लॉट फेल करने के संबंध में कागजात हैं जो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। यही मेरा कथन है।

दिनांक 06.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ